संख्या-79/2020/2459/6-पु0-7-2019-235/2019

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उ0प्र0पुलिस मुख्यालय
प्रयागराज/लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग 7 लखनऊ दिनांक 04 जनवरी, 2020

विषय- जनपद आगरा के थाना बसई अरेला में 32 कर्मियों के हास्टल/बैरक एवं 01 विवेचना कक्ष के निर्माण कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या:ग्यारह-517-2019(17) दिनांक 23.12.2019, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा के थाना बसई अरेला में 32 कर्मियों के हास्टल/बैरक एवं 01 विवेचना कक्ष के निर्माण कार्यो हेतु श्री राज्यपाल रू0 1,35,46,000/- (रू0 एक करोड़ पैतीस लाख छियालीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पूर्ण धनराशि रू0 1,35,46,000/- (रू0 एक करोड़ पैतीस लाख छियालीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	वर्ष 2019-20 में आवंटित धनराशि
1	आगरा	जनपद आगरा के थाना बसई अरेला में 32 कर्मियों के हास्टल/बैरक एवं 01 विवेचना कक्ष के निर्माण	**135.46**	**135.46**

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। निर्माण कार्यो हेतु नामित कार्यदायी संस्था से उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्य 11 माह में पूर्ण कराये जाने तथा कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी दशा में कार्यो की लागत में कोई पुनरीक्षण/लागत वृद्धि न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिये जायें। पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यो का Third Party inspection कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय । प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा ।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है ।

(5) पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्तगत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

(6) पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कराया जाय। परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी अद्यावद्कि शिड्यूल रेट के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाए। पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी कार्य मद हेतु नियमानुसार देय धनराशि से अधिक की धनराशि स्वीकृत न किया जाय, जो धनराशि शेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) कार्यो को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित मानक के अनुरूप पूर्ण कराने का दायित्व पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था/जनपदीय नोडल अधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार की अनियमतता हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय /जनपदीय नोडल अधिकारी /कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार किया जायेगा।

(11) पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जी0ई0एम0)/ई-टेण्डरिंग के माध्यम से किया जायेगा।

(12) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्यो हेतु आवश्यक धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-26 के अधीन लेखाशीर्षक-4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-06-पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य" मद से वहन की जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
एस0पी0 उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

संख्या-79/2020/2459(1)/6-पु0-7-2019 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन, इंदिरा भवन, प्रयागराज।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
7- सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
9- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से
एस0पी0 उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।